भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 अगस्त, 2016

संख्या का०आ०24/ह०अ०11/1994/धा०209/2016.– हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप–धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 में, नियम 70 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"70 मानदेय। धारा 199.–जिला परिषद् के प्रधान, उप–प्रधान, सदस्य, पंचायत समिति के अध्यक्ष, उप–अध्यक्ष, सदस्य, सरपंच तथा पंच को सरकारी कर्तव्यों का पालन करने के लिए निम्नलिखित दरों पर मासिक मानदेय का भुगतान किया जायेगा,–

(क)	प्रधान, जिला परिषद्	:	₹10000/– प्रति मास
(ख)	उप प्रधान, जिला परिषद्	:	₹7500/– प्रति मास
(ग)	जिला परिषद् सदस्य	:	₹3000/– प्रति मास
(घ)	अध्यक्ष, पंचायत समिति	:	₹7500/– प्रति मास
(ङ)	उप–अध्यक्ष, पंचायत समिति	:	₹3500/– प्रति मास
(च)	पंचायत समिति सदस्य	:	₹1600/– प्रति मास
(छ)	सरपंच	:	₹3000/– प्रति मास
(ज)	पंच	:	₹1000/– प्रति मास ।"।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 9th August, 2016

No. S.O-24/H.A. 11/1994/S. 209/2016.— The following draft of the rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Act 11 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of the rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestion, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the periods so specified.

Draft Rules

1. These rules shall be called the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works (Amendment) Rules, 2016.

2. In The Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, for rule 70, the following rule shall be substituted, namely:-

"**70. Honorarium. section 199.—** There shall be paid a monthly honorarium, at the following rates to the President, Vice-President, Member of Zila Parishad, Chairman, Vice Chairman, Member of Panchayat Samiti, Sarpanch and Panch for performing official duties,-

(a)	President, Zila Parishad	:	₹10000/-per month
(b)	Vice-President, Zila Parishad	:	₹7500/- per month
(c)	Member of Zila Parishad	:	₹3000/- per month
(d)	Chairman, Panchayat Samiti	:	₹7500/- per month
(e)	Vice Chairman, Panchayat Samiti	:	₹3500/- per month
(f)	Member of Panchayat Samiti	:	₹1600/- per month
(g)	Sarpanch	:	₹3000/- per month
(h)	Panch	:	₹1000/- per month.".

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

54537—L.R.—H.G.P., Chd.